राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 572/2023

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, जयपुर।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।----अपीलकर्ता

बनाम

सुनीता पुत्री श्री रूप चंद, आयु लगभग 35 वर्ष, करलों का बास, भानगढ़, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।----प्रतिवादी

संबंधित

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 381/2020

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

रेखा मीना पुत्री जिथिंग मीना, आयु लगभग 25 वर्ष, रामगढ़, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 66/2021

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

द्रोपदी पुत्री श्री रतन लाल शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव हुडेरा, तहसील रामगढ़, शेखावाटी, जिला सीकर।----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 241/2021

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)

3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.) ----अपीलकर्ता

बनाम

अनाडू पुत्री राम लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, पत्नी जाट, निवासी गुलजी का पाना, खोथो की ढाणी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर (राज.) ----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 375/2021

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर.----अपीलकर्ता

बनाम

दीपा बाई पुत्री श्री साहब राम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी गांव 9 केएसडी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर.----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 378/2021

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर.

3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान,जयपुर.----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती. इंद्रावती पुत्री श्री महावीर सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, वार्ड नं. 4, लाल कुई के पास, हनुमान मंदिर, राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला चूरू।----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 380/2021

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

3. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

विमला चौधरी पुत्री श्री दुर्गा राम पत्नी श्री स्वरूप राम, आयु लगभग 27 वर्ष, 92, मुंडेलो का बास, बिलाड़ा, जिला जोधपुर।----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 445/2021

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

प्रियंका राव पुत्री श्री स्वरूप सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गांव पहाड़पुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज.).----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 456/2021

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर----अपीलकर्ता

बनाम

इूंगा राम गुर्जर पुत्र हरदेव लाल गुर्जर, उम्र लगभग 27 वर्ष, गांव गरियाखेड़ा, चतरपुरा, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा (राज.) ----प्रतिवादी`

डी.बी. विशेष आवेदन आवेदन रिट संख्या 457/2021

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर - 302005 (राजस्थान) के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राजस्थान)----अपीलकर्ता

बनाम

रामलाल नायक पुत्र सुखाराम, आयु लगभग 23 वर्ष, (जन्म तिथि 15.05.1996), श्रेणी-एससी, निवासी सरकारी स्कूल के पास, राववाला, बरसलपुर, जिला बीकानेर (राजस्थान) पिन 334305.----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 500/2021

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर अपने प्राचार्य के

माध्यम से।----अपीलकर्ता बनाम मोहम्मद रिजवान पुत्र श्री मोहम्मद सलीम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 104, मस्तान बाबा कॉलोनी, पाली (राजस्थान), मोबाइल नंबर- 9928191111.----प्रतिवादी डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 502/2021 1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से। 2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

सुरेश पुत्र श्री सुखदेव राम, आयु लगभग 27 वर्ष, (शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी-ओएल, प्राप्त अंक 51.807 प्रतिशत) निवासी गांव निंबोला कल्लन, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राजस्थान)। मोबाइल नंबर 9783300059।----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 8/2022

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर.----अपीलकर्ता बनाम

3. वेद पाल पुत्र ओंकार लाल मीना, आयु लगभग 44 वर्ष, (शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी -ओएल, प्राप्त अंक 40.389 प्रतिशत) निवासी जैन मंदिर के पास, वी/पी थानावड़, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान), मोबाइल नंबर 9571261836----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 20/2022

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती कमला पत्नी श्री राम चंद्र, आयु लगभग 57 वर्ष, गांव पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर।----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 29/2022

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से। 2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम,तिलकमार्ग,जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

परमा देवी बिश्नोई पुत्री श्री किशन लाल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी बिचपुरी, राजोद, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 32/2022

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

सीमा कुमारी धोबी पुत्री श्री लाला राम धोबी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव-पोस्ट बिसुंदनी, तहसील सावर, जिला अजमेर (राज.)----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 46/2022

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।----अपीलकर्ता

बनाम

कविता पुत्री श्री बदलू राम पत्नी श्री सत्यनारायण, आयु लगभग 32 वर्ष, वार्ड संख्या 5, नेशाल बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू। ----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 81/2022

1. राजस्थान राज्य, उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

शिव प्रताप सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी बीजापुर, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 144/2022

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर----अपीलकर्ता

बनाम

भावना धाडीच पुत्री श्री शिव राज दाधीच, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 07, तपस्वी नगर दाधीच भवन, जिला जोधपुर (राज.)----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 145/2022

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
3. डॉ. सम्पुनानंद मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर अपने प्राचार्य के माध्यम से
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणी, जिला जोधपुर----अपीलकर्ता

बनाम

कैलाश कस्वां पुत्र श्री रामचंद्र, आयु लगभग 27 वर्ष, (शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी-ओएल, प्राप्तांक 81.034) निवासी गांव/पोस्ट पालियास, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राज.) मोबाइल नंबर 8696106886----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन। रिट संख्या 146/2022

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

3. डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर अपने प्राचार्य के माध्यम से ----अपीलकर्ता

बनाम

संगीता चौधरी पुत्री हर्षूका राम, आयु लगभग 28 वर्ष, गांव/पोस्ट झुजंडा, तहसील मुमडवा, जिला नागौर (राजस्थान) मोबाइल नंबर 9413169482

----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 109/2024

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान

2... निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

3. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।----अपीलकर्ता

बनाम

नैनी देवी पत्नी श्री राम दयाल, पुत्री श्री शिव राम टाक, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम ओलवी, तहसील बिलारा, जिला जोधपुर (राजस्थान)।-----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 673/2024

1. राजस्थान राज्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार राजस्थान जयपुर

3. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

पवन जयपाल पुत्र तेजाराम जयपाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी भुट्टन का बास, फतीपुरा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान) ----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री एन.एस. राजपुरोहित, एएजी

प्रतिवादी के लिए: श्री यशपाल खिलेरी

सुश्री विनीता

श्री विवेक फियोर्डा

श्री जयराम सारण

श्री भरत सिंह राठौड़

श्री ऋषभ तायल

श्री जीतेन्द्र चौधरी

सुश्री मुस्कान जांगिड़

सुश्री प्रियंका भूतड़ा के लिए

श्रीधर मेहता

श्री आर.एस. चौधरी

डॉ. अशोक चौधरी

श्री जे.के. सुथार

सुश्री प्रज्ञा सिंह के लिए

श्री नरेंद्र सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

रिपोर्ट योग्य

<u>निर्णय</u>

<u>31/08/2024</u>

<u>न्यायालय द्वारा (माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर के अनुसार)</u>:

1. अपीलकर्ता-राज्य द्वारा शुरू की गई भर्ती अभियान के बाद विवाद का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अलग-अलग तिथियों पर किया गया। चूंकि विशेष अपीलों के वर्तमान बैच में कानून और तथ्य का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश और निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है। निम्नलिखित पदों को विभिन्न विज्ञापनों / शुद्धिपत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया गया था: 🕐 नर्स ग्रेड- II विज्ञापन संख्या नर्सि ग/न श्री. द वी./ऍम ऍन आई टी/(ईधी भर्ती - 2018)/2018/230 और नर्सि ग/न श्री. द वि./ऍम ऍन आई टी/(ईधी भर्ती-2018)/2018/231 दिनांक 30.05.2018

क्रमशः टीएसपी और नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के लिए, जिसमें नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के लिए 6035 पद विज्ञापित किए गए थे और टीएसपी क्षेत्रों के लिए 522 पद विज्ञापित किए गए थे। बाद में, दिनांक 26.07.2018 के शुद्धिपत्र के माध्यम से, नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के लिए पदों की संख्या घटाकर 5927 कर दी गई। 🕐 विज्ञापन संख्या नर्सिं ग/ म0स0कार्य0/ऍमनआईटी/(ईधी भर्ती-2018)/2018/1363 दिनांक 18.06.2018 नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए, जिसमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए 4965 पद विज्ञापित किए गए थे।

2. सुविधा के लिए, मुख्य मामले डी.बी. सिविल विशेष अपील रिट संख्या 241/2021 (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अनाडू) के तथ्यों को विचारार्थ लिया गया है।

3. उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार, विज्ञापित पदों में से 3% पद एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता (पीएच-ओएल) से पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए थे। विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र और इच्छुक होने के कारण प्रतिवादियों ने निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय में अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। उपरोक्त विज्ञापन के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अपीलकर्ता-राज्य ने 25.11.2019, 14.12.2019 और 08.01.2020 को अनंतिम मेरिट/चयन सूचियां प्रकाशित कीं। प्रतिवादियों की शिकायत यह थी कि प्रतिवादियों के नाम अनंतिम मेरिट/चयन सूची में शामिल नहीं किए गए, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उक्त सूचियों में शामिल किया गया। प्रतिवादियों के पास विज्ञापित पदों के लिए अपेक्षित योग्यताएं हैं, साथ ही उनके पास राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र भी हैं, जिसमें उनकी संबंधित विकलांगता का उल्लेख है।

4. अपीलकर्ता-राज्य के कृत्यों और निष्क्रियता से व्यथित और असंतुष्ट होकर, प्रतिवादियों ने इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ से प्रार्थना की कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा बिना कोई कारण बताए उनके नाम अनंतिम योग्यता/ चयन सूची से बाहर करने के कृत्यों और निष्क्रियता को कानून की नजर में गलत घोषित किया जाए। प्रतिवादियों की ओर से दायर रिट याचिकाओं में कहा गया था कि चूंकि उनके पास अनंतिम योग्यता/चयन सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की तुलना में अधिक अंक हैं, इसलिए अपीलकर्ता-राज्य को उनके संबंधित पीएच श्रेणी (शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी) के तहत अंतिम योग्यता/चयन सूची में उनके नाम शामिल करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।

5. अपीलकर्ता-राज्य ने प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का जवाब दाखिल करके दिनांक 14.12.2019 को अनंतिम योग्यता/चयन सूची में प्रतिवादियों के नाम शामिल न करने की कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया। उत्तर में यह दावा किया गया कि दिनांक 14.12.2019 को अनंतिम मेरिट/चयन सूची के प्रकाशन से पहले, दस्तावेज सत्यापन के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रतिवादियों की जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि प्रतिवादियों के न केवल एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता है, बल्कि दूसरे पैर/शरीर के अन्य भाग में भी विकृति है, जैसे मांसपेशियों की ताकत कम होना या कमज़ोर होना। यह कहा गया कि प्रतिवादियों की शारीरिक स्थिति के आकलन के बाद, उन्हें केवल एक पैर में ही नहीं बल्कि 'दोनों पैरों' में विकलांगता के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता-राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता के संबंध में अपेक्षित नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे।

6. रिट याचिकाओं पर सुनवाई की गई और अंततः विद्वान एकल पीठ द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादियों की उम्मीदवारी को दूसरे पैर/शरीर के अन्य भाग में अतिरिक्त विकृति के कारण खारिज करने का कोई औचित्य नहीं था। विद्वान एकल पीठ ने कहा कि चूंकि यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता है, इसलिए विज्ञापित पदों पर उनकी मामूली अतिरिक्त शारीरिक विकृति के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना सार्वजनिक नियुक्ति में उचित अवसर से वंचित करने के समान है और यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (जिसे आगे '2016 का अधिनियम' कहा जाएगा) और राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 (जिसे आगे '2017 के नियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलार्थी-राज्य को निर्देश दिया गया कि वह पीएच श्रेणी के लिए एक नई चयन सूची तैयार करे और पात्र प्रतिवादियों को (उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद) संबंधित श्रेणी में चयन सूची में उचित स्थान पर रखे और उसके बाद उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करे। अपीलार्थी-राज्य ने विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों से व्यथित होकर वर्तमान विशेष अपीलें पेश की हैं।

7. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा-3 के साथ संलग्न नोट-1 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ओएल-एक पैर के अलावा अन्य विकलांगता वाला व्यक्ति आरक्षित पदों के लिए भर्ती हेतु पात्र नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, सभी प्रतिवादी किसी न किसी अतिरिक्त विकलांगता या विकृति से पीड़ित हैं, इसलिए पीएच श्रेणी (शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए विज्ञापन में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, उनके नाम दिनांक 18.06.2018 के विज्ञापन के अनुसरण में

विभाग द्वारा प्रकाशित पात्र उम्मीदवारों की दिनांक 14.12.2019 की अनंतिम चयन/मेरिट सूची में शामिल नहीं किए गए।

8. उपरोक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, ताकि ऐसे पदों की पहचान की जा सके, जिन पर एक पैर में 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जा सके तथा जो आरक्षण के लिए भी पात्र हों। उक्त समिति ने दिनांक 18.12.2020 को अपनी बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि एएनएम/जीएनएम के पद पर कार्य करने के लिए केवल एक पैर में विकलांगता वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति एवं आरक्षण के लिए पात्र हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विशेषज्ञों का निकाय होने के कारण उक्त समिति की राय/निर्णय बाध्यकारी है, अतः विद्वान एकल पीठ को विपरीत राय नहीं लेनी चाहिए थी तथा प्रतिवादियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था।

9. अंत में, अपीलकर्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विद्वान एकल पीठ ने अपने निर्णय में यह टिप्पणी की है कि चूंकि प्रतिवादियों ने दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें विकलांगता के प्रतिशत का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या वे किसी अन्य शारीरिक विकृति से भी पीड़ित हैं, उन्हें फिर से चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए, नियोक्ता के इस अधिकार पर कि वह यह देख सके कि पद के लिए चयनित व्यक्ति विज्ञापित पद के कर्तव्यों का पालन कर सकता है

या नहीं, विद्वान एकल पीठ द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए था। नियोक्ता को अपने संगठन में रोजगार के उद्देश्य से किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, उसके पक्ष में अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले।

10. इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से वर्तमान विशेष अपील को स्वीकार करने तथा विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 15.12.2020 के विवादित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों के पास जो विकलांगता प्रमाण-पत्र हैं, उनमें उनकी शारीरिक विकलांगता की प्रकृति तथा विकलांगता की डिग्री का उल्लेख है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विज्ञापन के खंड 13(viii) के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पीएच श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था तथा जिनके पास दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र था, उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं थी। केवल उन अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण कराने की आवश्यकता थी, जो प्रारंभिक चरण में विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। हालांकि, वर्तमान मामले में, उपर्युक्त खंड की अज्ञानता में, सभी प्रतिवादियों को चिकित्सा परीक्षा के अधीन किया गया था, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने यह प्रमाणित करते हुए कि वे एक पैर में 40% से अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं, आगे संकेत दिया है कि वे दोनों पैरों में विकलांगता से पीड़ित हैं। अपीलकर्ता-राज्य द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रतिवादियों का नया मूल्यांकन, विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप उनके द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्रों की अनदेखी करते हुए, अपने आप में अवैध था और इसे उनके हितों के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है।

12. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने जोरदार और उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया कि शरीर के किसी अन्य हिस्से में कुछ विकृति वाले उम्मीदवार को ओएल-एक पैर की श्रेणी के तहत रोजगार के लिए अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसके एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता हो। किसी भी अतिरिक्त विकृति/विकलांगता को राज्य सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त करने से प्रतिवादियों को वंचित करने के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ-साथ उस उद्देश्य का घोर उल्लंघन होगा जिसके लिए 2016 का अधिनियम और 2017 के नियम बनाए गए हैं।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

14. प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पैरा संख्या 26 से 46 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष/टिप्पणियां त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत की जा रही हैं:

"26. निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और दस्तावेज़ सत्यापन के समय उन्हें प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को चिकित्सा परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं रख सकते थे।

27. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चयन से पहले चिकित्सा परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए की जानी चाहिए, जिन्होंने विकलांग/पीएच श्रेणी के तहत आवेदन किया था और उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र था - तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच की आवश्यकता नहीं थी।

28. याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की कि उनके विकलांगता प्रमाण पत्रों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, 04.03.2020 को, न्यायालय ने प्रिंसिपल, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज को "याचिकाकर्ताओं की विकलांगता के प्रतिशत" की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।

29. दिनांक 04.03.2020 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि मेडिकल बोर्ड को याचिकाकर्ताओं की विकलांगता का सही प्रतिशत जांच कर रिपोर्ट करना आवश्यक था, जबकि बोर्ड के सदस्यों ने विकलांगता का प्रतिशत बताने के बजाय यह दर्शाया है कि उनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक है। बोर्ड का यह दायित्व था कि वह प्रत्येक पैर में विकलांगता का प्रतिशत बताता, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने यह व्यापक टिप्पणी की है कि विकलांगता 40% से अधिक है, लेकिन दोनों पैरों में है।

30. मेडिकल बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़कर यह रिपोर्ट दी है कि याचिकाकर्ताओं के दूसरे पैर में भी विकलांगता है। यह रिपोर्ट उनकी मांसपेशियों की ताकत के आधार पर दी गई है। मामला यहीं समाप्त नहीं होता, उन्होंने यह रिपोर्ट करने की हद तक जा पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता नर्स/ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। रिपोर्ट का उक्त भाग इस प्रकार है:

"सक्रिय रति किकरया जार्तिया है किक अभ्यर्थीश्री/ श्री अनदका शरीरिक परीक्षा करने के लिए उपरान्त हम मडी कल बो के दसत्र्य इ नीं रय पर पहन्चे है किक अभ्यर्थी की उक्रति दिद्व्यांगर्तिया अभ्यर्थी डी अरा वि जसिर्ति अनएअआदिदर्थी पद के दानिर्यत् ओं को, पतिजनं इलग्न ची मदिदरये गिर्ये दानिर्यत् तिमर्सिनलर्ति

ह. पने मबाधक रसिं द्ध होगी/नहीं होगी ए दिदव्रयंगर्तिया के इ परकार के

कर्ता राजस्थानी चिचाकिकत् आ ए एन एस आस्त्र्य खण्डसार्ति ए निनार्यम् 1965 के निनार्यम 13 के रतिहर्ति अभ्र्यर्थीआदिर्ति पद के दानिर्यत् ओं को व i रसिंभन्न पारिरियो माल्गार्टियार 8 घंटे का समय सामान्य रूप ई ए एन अपार्टीकाल परिप्रतिर्तिनिर्तीर्यों माश्रयकृत्यन अर पन्न कर केगा/नहीं कर केगा। (जो लगन हो उ ए काट दे"

31. अतः मेडिकल बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं का मूल्यांकन, उनके विकलांगता प्रमाण पत्रों की अनदेखी करना अपने आप में अवैध था और इसके अलावा, इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में गठित बोर्ड की रिपोर्ट दोषपूर्ण और संदर्भ के दायरे से बाहर होने के कारण नजरअंदाज किए जाने योग्य है।

32. न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, डॉ. इमरान शेख ने स्पष्ट शब्दों में सूचित किया कि बोर्ड ने प्रतिवादियों द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में रिपोर्ट दी है। उनके द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया कि 18.03.2020 को बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों में से एक पैर में कम से कम 40% विकलांगता थी और इसके अलावा, दूसरे पैर में थोड़ी या अधिक विकृति थी, जिसके लिए बोर्ड ने 18.03.2020 की रिपोर्ट दी है और उन्हें पीएच-'बीएल' माना है।

33. अब, उस मूल कारण पर ध्यान दें जिसके लिए प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार को समाप्त कर दिया है याचिकाकर्ताओं के दूसरे पैर में भी कुछ विकलांगता होने के कारण उन्हें 'ओएल श्रेणी' में माना जाता है; इस न्यायालय का यह मानना है कि ऐसा दृष्टिकोण कम से कम कहने के लिए अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण है।

34. एक उम्मीदवार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के लिए पीएच श्रेणी के तहत विचार किए जाने का हकदार है यदि वह एक पैर में शारीरिक रूप से विकलांग है और ऐसी विकलांगता 40% या उससे अधिक है। यह तथ्य कि

किसी उम्मीदवार को दूसरे पैर या शरीर के किसी अन्य हिस्से में कुछ समस्या है, उसे उसकी 'ओएल' श्रेणी से बाहर नहीं करता है। आरक्षण का दावा करने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्त यह है कि उम्मीदवार के एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए।

35. आरक्षण एक विकलांग व्यक्ति को एक विकलांगता प्रदान करता है, जिसकी मदद से उसे अन्य उम्मीदवारों के बराबर स्थान दिया जाता है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को, जिसमें कुछ या छोटी विकृति या विकलांगता है, नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, तो इस न्यायालय को आश्चर्य है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से कैसे और क्यों वंचित किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उनमें कोई अतिरिक्त समस्या या विकलांगता है।

36. एक बार जब कोई उम्मीदवार आरक्षण के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसकी पात्रता या हक को इस आधार पर माना जाना चाहिए। उसके बाद, ऐसी विकलांगता, जिसके लिए उसे आरक्षण दिया गया है, को अनदेखा किया जाना चाहिए। राज्य उसे एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में मानने के लिए बाध्य है और अतिरिक्त छोटी-मोटी बल्कि महत्वहीन समस्याओं/बीमारियों को भी अनदेखा करने के लिए बाध्य है।

37. इन याचिकाओं में से याचिकाकर्ताओं को दूसरे पैर में मामूली अतिरिक्त विकलांगता है। इसी प्रकार की विकलांगता शरीर के अन्य भाग में भी हो सकती है, जैसे ऊपरी अंग (हाथ), कान या आंख। लेकिन ऐसी विकलांगता अपने आप में आरक्षण के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती, जिसे कानून निर्माताओं ने उन्हें अधिकार के रूप में प्रदान किया है, ताकि वे आत्मसम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

38. नियम 1965 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को शामिल होने से पहले फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिन याचिकाकर्ताओं में बेंचमार्क विकलांगता है, उन्हें भी नियम 13 के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि वे उस पद के कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है, और निर्धारित प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें नियुक्ति/ज्वाइन करने से इनकार नहीं कर सकता।

39. प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को दौड़ से बाहर नहीं कर सकते हैं और उन्हें नियम के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना नियुक्ति आदेश जारी करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। नियम 13 के अनुसार।

40. यह न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ताओं को - जिन्हें उनकी शारीरिक स्थिति के बावजूद जीएनएम कोर्स में प्रवेश दिया गया है; जिन्हें आरक्षण का लाभ लेने के बाद संविदा रोजगार के लिए चुना गया है; जिनके पास राज्य और अन्य निजी एजेंसियों के साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्स के रूप में काम करने की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है; जिन्होंने सभी व्यावहारिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं माना जा सकता है, बल्कि उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है!

41. प्रतिवादियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं की मांसपेशियों में पर्याप्त ताकत नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। यदि आरक्षण का दावा न करने वाले उम्मीदवारों को मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण किए बिना नियुक्ति की पेशकश की गई है, तो याचिकाकर्ताओं की मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण करने और उन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराने का कोई कारण नहीं हो सकता है।

42. इस न्यायालय के समक्ष सभी याचिकाकर्ताओं के एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता है। जिस व्यक्ति में 40% या उससे अधिक विकलांगता है, उसका दूसरे पैर पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक रूप से, दूसरे पैर के अधिक उपयोग के कारण या अधिक शरीर का भार मजबूत पैर पर स्थानांतरित होने के कारण। इस प्राकृतिक परिणाम से उन पर अधिक प्रतिकूलताएं नहीं आनी चाहिए, जो प्रकृति ने पहले ही उनके लिए उत्पन्न कर दी हैं।

43. 2011 के नियमों के नियम 35 में विकलांग व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद धारण करने की पात्रता दी गई है। नियम 35, जो एक गैर-बाधा खंड से शुरू होता है। साथ ही, नियम 36 न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को एक ध्रुव भी प्रदान करता है ताकि वह सामाजिक और भावनात्मक बाधा को पार कर सके और एक समान खेल के मैदान पर उतर सके और अपने अधिक भाग्यशाली समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

44. 2011 के नियम 35 को शारीरिक फिटनेस से संबंधित सेवा नियमों जैसे 1965 के नियम 13 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति 2011 के नियम 36 में उल्लिखित विकलांगता से पीड़ित है, तो शारीरिक रूप से अयोग्य होने के बावजूद, उसे निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

45. लेकिन साथ ही, यह एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी अन्य पैर या शरीर के अन्य भाग में विकलांगता वाला व्यक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

46. एक पैर में विकलांगता वाले व्यक्ति (ओएल) को नियम 36 के अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि एक पैर में विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 3% सीटें आरक्षित की जानी आवश्यक हैं। यह उचित है कि ऐसा आरक्षण केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। नियम 35 में निहित प्रावधानों के परिणामस्वरूप, कोई भी यह नहीं कह सकता है कि एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम करने के लिए फिट नहीं है।

15. इस न्यायालय की राय में, विशेष अपीलों के इस समूह में निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ आते हैं:

(1.) क्या अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादियों को उनकी विकलांगता के प्रतिशत का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण के अधीन करना उचित था, जबकि उनके पास विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 और विकलांग व्यक्ति के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र हैं?

(2.) क्या अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति से वंचित करना उचित था, जबकि उनके एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता है, इस आधार पर कि वे दूसरे पैर या शरीर के किसी अन्य भाग में मामूली विकृति से पीड़ित हैं? 16. उपर्युक्त मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, यह न्यायालय निम्नलिखित अधिनियम/नियमों में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना न्यायोचित और उचित समझता है:

(i) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (जिसे आगे '1995 का अधिनियम' कहा जाएगा)

(ii) विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (जिसे आगे '2016 का अधिनियम' कहा जाएगा)

(iii) राजस्थान विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 (जिसे आगे '2011 के नियम' कहा जाएगा)

(iv) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 (जिसे आगे '1965 के नियम' कहा जाएगा): "(क) अधिनियम, 1965 की धारा 2(टी) 1995:

"2(टी)."विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं है;"

(बी) 2016 के अधिनियम की धारा 2(आर) और नियम 2(एस): "परिभाषाएँ.

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

2(आर)

"बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो निर्दिष्ट विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाला व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है;

2(एस) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता से ग्रस्त है, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी

भागीदारी में बाधा डालती है;" (सी) 2016 के अधिनियम की धारा 34: "34. आरक्षण.- (1) प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की कम से कम चार प्रतिशत पदों पर बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी, जिनमें से एक प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए तथा एक प्रतिशत खंड (घ) और (ङ) के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात्: (क) अंधापन और कम दृष्टि; (ख) बहरापन और कम सुनने की क्षमता; (ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता; (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी; (ई) खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित बहु विकलांगता: बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं: आगे यह भी प्रावधान है कि उचित सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

(2) जहां किसी भर्ती वर्ष में बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध

नहीं है, नियोक्ता विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा: बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियों को उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली किया जा सकता है।

(3) उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

(घ) नियम 2011 के नियम 35 और 36:
"35. पात्रता.- सरकारी विभाग सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान के मामलों के संबंध में विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी भी नियम या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, विकलांग व्यक्ति इन नियमों के नियम 36 के तहत उनके लिए पहचाने गए पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे पदों के लिए प्रासंगिक भर्ती या सेवा नियमों में निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों और उक्त सेवाओं के पदों के कर्तव्यों का पालन करने में कार्यात्मक रूप से सक्षम हों।
36. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण.- प्रत्येक प्रतिष्ठान में तीन प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से एक-एक प्रतिशत निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे: (i) अंधापन या कम दृष्टि; (ii) श्रवण दोष; (iii) चलने-फिरने में अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात। भारत सरकार द्वारा धारा 32 के अन्तर्गत प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में ऐसे आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जाएगाः परन्तु जहां राज्य सरकार में किसी पद का नामकरण भारत सरकार के पद से भिन्न है अथवा राज्य सरकार में कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में विद्यमान नहीं है, वहां मामला राज्य सरकार में समतुल्य पद की

पहचान के लिए नियम 38 के अन्तर्गत गठित समिति को भेजा जाएगा। समिति प्रत्येक पद की नौकरी की प्रकृति तथा जिम्मेदारी के आधार पर समतुल्य पद की पहचान करेगी। (ई) 1965 के नियम 13: 13. शारीरिक योग्यताः- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सके तथा यदि उसका चयन हो जाता है तो उसे इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है, जो पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत हुआ हो, अथवा जो राज्य के मामलों के संबंध में पहले से ही सेवारत हो, यदि उसकी पिछली नियुक्ति के लिए पहले ही चिकित्सा जांच हो चुकी हो तथा उसके द्वारा धारित दोनों पदों की चिकित्सा जांच के आवश्यक मानक नए पद के कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के लिए तुलनीय हों तथा उसकी आयु ने इस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यकुशलता में कोई कमी नहीं की हो।" मुद्दा संख्या 1 17. राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति 1965 के नियमों द्वारा शासित होती है। 1965 के नियमों के नियम 13 के अनुसार, सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को पद के लिए चयनित होने पर सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है, जो सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 18. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि विषयगत विज्ञापन के अंतर्गत पैरा 13 के खंड-3 खंड (viii) से संलग्न नोट 1 और 2 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित

पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत सामान्य निर्देश जारी किए गए थे:

"3. आरक्ष नोट:- 1. 40 प्रनिर्तीशर्ती र्या इ े अचिधक One Leg Locomotor (OL) Disability होने पर ही दिदव्र्यांगअभ्यचिर्थीर्यों के र्सिलर्य आरक्षिक्षर्तीपदों हेर्तीपात्रमानाजार्येगा।40 प्रनिर्तीशर्ती े कम OL Disability होने परअपने पैर्तीक गम ामान्र्यअभ्यचिर्थीर्योंकी र्तीरहआ `दनका पात्र होगा।One Leg के अनिर्तीरिरक्र्तीकिक ीअन्र्यप्रकारकी निनःशक्र्तीर्ती होने पर वि शेषर्योग्र्यजनअभ्यचिर्थीर्योंके र्सिलर्येआरक्षिक्षर्तीपदोंके वि रूद्धनिनर्यसिक्र्तीहेर्ती पात्रनहीं होगा। 2. इ वि ज्ञसिर्तीके ंदभमवि भागद् ारा गदि र्तीमेडि कलबो की रार्य/ प्रमा पत्रके आधारपरही वि शेषर्योग्र्यजनअभ्यचिर्थीर्योंकोआरक्ष कालाभ देर्यहोगा। 13. ामान्र्यनिनदश-: (viii) वि शेषर्योग्र्यजनअभ्यचिर्थीर्यों को इ भर्ती हेर्ती वि भागद् ारा गदि र्ती मेडि कलबो की रार्य/ प्रमा पत्रके आधारपरहीआरक्ष कालाभदेर्य होगा। सिजके र्सिलर्ये अभ्यर्थी को वि भाग द् ारा आमंत्रित्रर्ती किकर्ये जाने पर " मेडि कलबो के मक्षठपसिस्र्थीर्तीहोनाहोग

19. 1965 के नियमों के नियम 13 और विज्ञापन के पैरा 13 के खंड (viii) का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादियों को भर्ती प्रक्रिया (दस्तावेज सत्यापन) के दौरान चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश देने की कार्रवाई, जबकि उनके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र मौजूद थे, कानून की नजर में गलत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्णय करने का नियोक्ता/भर्ती एजेंसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता।

20. हालांकि, यह न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि चिकित्सा परीक्षण करने के लिए अपीलकर्ता-राज्य द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड को

विज्ञापन में निर्धारित अनुसार केवल एक पैर (ओएल) में 40% से कम विकलांगता के संबंध में प्रतिवादियों की जांच करने तक ही सीमित रहना चाहिए था। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रतिवादियों को अन्य शारीरिक अंगों में विकलांगता का पता लगाने के लिए मेडिकल परीक्षण के अधीन करने की कार्रवाई 1995 और 2016 के अधिनियम के उद्देश्य और अभिप्राय का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपर्युक्त कानून को लागू करने के पीछे उद्देश्य विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को शामिल करना है, जबकि प्रतिवादियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप इसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं, अर्थात विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को बाहर रखा गया है।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैयद बशीर उद्दीन कादरी बनाम नजीर अहमद शाह एवं अन्य के मामले में (2010)3 एससीसी 603 में अधिनियम 1995 के उद्देश्य एवं अभिप्राय पर चर्चा की गई थी, जो इस प्रकार है: "47. यह ध्यान में रखना होगा कि यह मामला रोजगार के लिए व्यक्ति के दावे से संबंधित सामान्य मामलों में से एक नहीं है। यह मामला सामाजिक कानून के एक लाभकारी भाग से संबंधित है, जो कुछ प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को उद्देश्यपूर्ण एवं मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे नौकरशाही की उदासीनता के साथ नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए, जैसा कि अपीलकर्ता के मामले में किया गया प्रतीत होता है।"

22. इसी प्रकार, यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एवं अन्य के मामले में भी ऐसा ही हुआ। (2013)10 एससीसी 772 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना है:

"23. भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें दिव्यांग लोग भी शामिल

हैं, ताकि उन्हें भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके। हमारे देश में दिव्यांग नागरिकों के लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की जड़ें संविधान के भाग III और भाग IV में देखी जा सकती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दुनिया के कारण बदलते अवसर तकनीकी रूप से अधिक नई उन्नति प्रदान करते हैं, हालांकि, वास्तविक सीमा तभी सामने आती है जब उन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसलिए, उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर समाज में लाना समय की मांग है।"

23. हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-राज्य की कार्रवाई के परिणामस्वरूप "विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों" की श्रेणी से संबंधित योग्य और मेधावी उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है और इसलिए यह उस उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत है जिसे विधानमंडल ने इन विशेष लाभकारी अधिनियमों को लाकर प्राप्त करने का इरादा किया था, अर्थात गैर-भेदभाव, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश और अवसर की समानता।

24. यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 2016 के अधिनियम की धारा 3 में यह अनिवार्य किया गया है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को समानता, सम्मान के साथ जीवन और दूसरों के समान उनकी ईमानदारी के लिए सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार, यदि विज्ञापन के पैरा संख्या 13 के खण्ड 3 और खण्ड (viii) के साथ संलग्न नोट-1 के संदर्भ में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अन्य शारीरिक अंगों में मामूली विकृति के संबंध में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादियों को उनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने की कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है, तो यह अधिनियम 1995 और अधिनियम 2016 के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

अपीलकर्ता-राज्य द्वारा विज्ञापन के पैरा 13 के खण्ड 3 और खण्ड (viii) में प्रयुक्त भाषा को इस प्रकार पढ़ा जाना आवश्यक है कि यह विधानमंडल की मंशा को पूरा करे और इच्छित परिणाम उत्पन्न करे। मुद्दा संख्या 2

25. अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध गैर-टीएसपी/टीएसपी क्षेत्र के लिए नर्स ग्रेड II और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और राजस्थान नर्सिंग परिषद में पंजीकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

26. प्रतिवादियों के अनुसार, अधिनियम 1995 की धारा 32 के अनुरूप, विभिन्न श्रेणियों की विकलांगताओं के लिए पदों की पहचान के लिए एक समिति गठित की गई थी। उक्त समिति ने निर्णय लिया था कि विचाराधीन पदों को केवल एक पैर में विकलांगता वाले उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए- ओएल। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी पीएच ओएल- एक पैर श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का दावा कर रहे हैं। विद्वान एकल पीठ ने रिट याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के समय 04.10.2020 को प्रतिवादियों को तीन डॉक्टरों वाले मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने स्थापित किया कि प्रतिवादियों को एक पैर में 40% से अधिक की स्थायी विकलांगता है। हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादियों की जांच करने पर यह भी पाया कि दूसरे पैर/शरीर के हिस्से में भी कुछ विकृति है जैसे कि छोटा होना या मांसपेशियों की ताकत कमजोर होना।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एकल पीठ ने प्रतिवादियों द्वारा झेली गई विकलांगता के प्रतिशत और विकलांगता की प्रकृति का पता लगाने के लिए उपर्युक्त मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टरों में से एक को न्यायालय के

समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया और निम्नलिखित तरीके से उनके बयान दर्ज किए:

"32. न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, डॉ. इमरान शेख ने स्पष्ट शब्दों में सूचित किया कि बोर्ड ने प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में रिपोर्ट दी है। उनके द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया कि 18.03.2020 को बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों में से एक के पैर में कम से कम 40% विकलांगता थी और इसके अलावा, दूसरे पैर में थोड़ी या अधिक विकृति थी, जिसके लिए बोर्ड ने 18.03.2020 की रिपोर्ट दी और उन्हें पीएच-'बीएल' माना।"

28. अधिनियम 1995 की धारा 2(टी) और अधिनियम 2016 की धारा 2(आर) और नियम 2(एस) की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है कि आरक्षण उन सभी व्यक्तियों को दिया जाना है जो 40% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं।

29. प्रतिवादियों के पक्ष में जारी विकलांगता प्रमाण-पत्रों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि प्रतिवादियों के पक्ष में जारी चिकित्सा जांच रिपोर्ट/विकलांगता प्रमाण-पत्र में डॉक्टरों द्वारा व्यक्त/प्रकट की गई विकलांगता का प्रतिशत केवल एक विशेष पैर/अंग के संदर्भ में है। प्रतिवादियों द्वारा अन्य पैर/शरीर के अन्य भाग में विकलांगता के प्रतिशत को स्थापित/संकेतित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इस न्यायालय की राय में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पैर या शरीर के अंग में एक निश्चित सीमा तक विकलांगता से पीड़ित है, तो किसी भी तरह से इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उम्मीदवार अपना कर्तव्य निभाने के लिए फिट नहीं होगा। शरीर के किसी अन्य भाग में मांसपेशियों की आंशिक विकृति/छोटापन/कमजोरी किसी व्यक्ति को विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए

अयोग्य नहीं बनाती, विशेषकर तब जब वह विज्ञापित पद से जुड़े सभी कर्तव्यों और कार्यों को करने में सक्षम हो।

30. दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लाने के पीछे उद्देश्य दिव्यांगजनों की सार्वजनिक रोजगार में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजनों को पद धारण करने की योग्यता और योग्यता होने के बावजूद अति-तकनीकी आधार पर या स्व-दत्त कारणों से सार्वजनिक रोजगार से वंचित न किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वांगीण प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने का कोई अवसर न छूटे, ताकि उपर्युक्त विशेष कानून बनाने का अंतिम उद्देश्य प्राप्त हो सके अर्थात विशेष योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों से भरपूर सम्मानजनक जीवन मिले।

32. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ता राज्य द्वारा पीएच श्रेणी (पीएच-ओएल श्रेणी) के तहत प्रतिवादियों को नियुक्ति देने से इनकार करने की कार्रवाई को कानून की नजर में गलत घोषित किया गया है।

33. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता राज्य को जारी किए गए निर्देश को बरकरार रखते हैं कि वह पीएच श्रेणी के लिए नई चयन/योग्यता सूची तैयार करे, जिसमें पात्र प्रतिवादियों को उनकी अपनी श्रेणी में चयन/योग्यता सूची में उचित स्थान पर रखा जाए, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुद्दों के संबंध में दर्ज की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए।

34. इस आदेश के अनुरूप आवश्यक अभ्यास अपीलकर्ता राज्य द्वारा इस निर्णय की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(कुलदीप माथुर)जे, (श्री चंद्रशेखर), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।